न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 27 / 2025

विनोद कुमार पुत्र रामचन्द जाति मेघवाल उम्र वर्ष निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

-- प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सतपाल पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री जय प्रकाश बैरड़ प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 14.07.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 2 एच एच द्वितीय की खतौनी संख्या 147 / 117 के मु.न. 25 के किला नम्बर 1/3, 10/2, 11/2 में 0.421 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 शामिल प्रार्थना पत्र है। तहसील श्रीगंगानगर के चक 2 एच एच द्वितीय की खतौनी संख्या 146 / 117 के मु.न. 25 के किला नम्बर 11/1, 12, 20, 21 0.422 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 शामिल प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को अपने खेत के मु.न. 25 के किला नम्बर 11 व में जाने के लिए कोई मंजूर शुद्वा रास्ता नहीं है प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 11/1 व 12 के रास्ता से होते हुए मु. न. 25 के किला नम्बर 11/2 में अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति से काफी समय पूर्व से प्रवेश करता आ रहा है। इस रकबा के अलावा प्रार्थी को अपने खेत में आने-जाने के लिए अन्य कोई मंजूर शुद्वा रास्ता नहीं है। फसल हाड़ी सावनी के वक्त व अन्य दिनों में उपरोक्त चालू रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में मंजूर शुद्वा नहीं है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 इस चालू रास्ता में बैलगाड़ी व अन्य कृषि उपकरण खड़े करके जानवूझ कर व्यवधान पैदा कर देता है इस कारण इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाना आवश्यक व जरूरी हो गया है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि मु.न. 25 के किला नम्बर 11 में 0.0013 व किला नम्बर 12 में 0.012 हैक्टर चालू

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति के ब्यान कर दो ताकि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन हो जावे। पहले तो अप्रार्थी संख्या 1 आजकल-आजकल करता आ रहा है और फिर आज से दस रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गया और कहने लगा कि हम तो इस चालू रास्ता को मंजूर नहीं करवाता है और ना ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करता है आपको जो करना है सो करो बस बिनाए प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ हासिल हुआ है। प्रार्थी को इस रास्ता को बंद करने से असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वह चालू रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे और रास्ता बंद नहीं करे। प्रार्थी इस रास्ता की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 को डी एल सी की दर की दुगनी राशि अथवा जमीन के बदले चिपती जमीन देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो कि समयावधि में समुचित कोर्ट फीस पर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 2 एच एच द्वितीय के मु.न. 25 के किला नम्बर 11 में 0.0013 व किला नम्बर 12 में 0.012 हैक्टर चालू रास्ता मंजूर किया जावे अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत जो प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1, द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने डी एल सी की दुगनी राशि प्राप्त कर ली है। यदि रास्ता मंजूर कर दिया जाता है तो मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति वा एतराज नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमत है। अतः ईकबाली जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता मंजूर कर दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है जिसके लिए वह सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बावत आपसी सहमति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एच एच द्वितीय के मु.न. 25 के किला नम्बर 11 में 0.0013 व किला नम्बर 12 में 0.012 हैक्टर चालू रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रतिकर की राशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रतिकर देय नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 27 / 2025
अनवान विनोद कुमार बनाम सतपाल

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 14.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

([illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर